राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

स.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/4डी   जयपुर, दिनांकः— 29—11—2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951(1951 का राजस्थान अधिनियम सं॰ 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं॰ एफ.6 (179)/परि/टैक्स/ एचक्यू /95/4सी. दिनांक 31.03.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तंभ सं॰ 2 में विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के अन्य राज्यों के परिवहन यानों और अस्थायी परमिट पर चलने वालों और अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में से होकर जाने वाले मोटर यानों, मोटर यानों के चैसिसों पर उसके स्तंभ सं॰ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर, इसके द्वारा, तारीख 1—12—2004 से कर की दर विहित करती हैः—

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**कर की दर**
1	**2**	**3**
1.	अन्य राज्यों के अस्थायी परमिट पर चलने वाले परिवहन यान	
	क. यात्री यान	
	(1) तिपहिया यान	प्रति सीट प्रतिदिन 10/—रु.
	(2) चार पहियों वाले यान	
	(क) ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले	प्रति सीट प्रतिदिन 60/—रु.
	(ख) ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक की किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	प्रति सीट प्रतिदिन 65/— रु.
	(ii) साधारण यान से भिन्न	प्रति सीट प्रतिदिन 70/— रु.
	(ग) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
	(i) साधारण यान	प्रति सीट प्रतिदिन 70/—रु.
	(ii)साधारण यान से भिन्न	प्रति सीट प्रतिदिन 75/—रु.
	ख. माल यान	
	(क) 7000किग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 किग्रा. जी.वी.डब्ल्यू/ आर.एल.डब्ल्यू या उसके भाग के लिए 110/—रु.
	(ख) 7000 कि.ग्रा.के आधिक्य में प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू	ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय रकम के अतिरिक्त, 30 दिन या

		उसके भाग के लिए प्रत्येक 100(कि.ग्रा.जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल या उसके भाग के लिए 50/–रु
2.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत मोटर यान या मोटर यानों के चैसिस	
	(क) मोटर कार, ट्रैक्टर और ड्राइवर को छोड़कर 10 तक सीट क्षमता वाली ओमनी बस और सभी तिपहिया यान	प्रति यान 200/–रु.
	(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत न आने वाले कोई भी अन्य मोटर यान	प्रति यान 1500/–रु.
	(ग) मोटर यानों के चैसिस	प्रति चैसिस 1000/–रु.

परन्तु :–

(1) अस्थाई अनुज्ञापत्र पर चलने वाले यात्री यानों के मामले में, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर दो दिन के लिए कर का एकमुश्त संदाय करने पर, ऐसे कर का संदाय करने के दिनांक से 7 दिवस तक कोई और कर संदत्त नहीं किया जायेगा।

(2) अस्थाई अनुज्ञापत्र पर चलने वाले यात्री यानों के मामले में, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर चार दिन के लिए कर का एकमुश्त संदाय करने पर, ऐसे कर का संदाय करने के दिनांक से 14 दिवस तक कोई और कर संदत्त नहीं किया जायेगा।

(3) अस्थाई अनुज्ञापत्र पर चलने वाले यात्री यानों के मामले में, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर छह दिन के लिए कर का एकमुश्त संदाय करने पर, ऐसे कर का संदाय करने के दिनांक से 30 दिवस तक कोई और कर संदत्त नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:–

(1) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 3X2 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(2) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''साधारण यान से भिन्न'' से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 2X2, 2X1 या 1X1 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(3) संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए, ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजक या अनुकूलन का जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू. के प्रयोजन के लिए ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव